E: ISSN NO.: 2349-980X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

राजस्थान में सहकारी प्रशिक्षण : मुद्दें एवं चुनौतियाँ

नंदिता राठौड
शोध छात्रा,
लोक प्रशासन विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जो उपक्रम रूप है। जिसका उदेद्श्य सेवा है न कि लाभ जो कि समानतापूर्वक, लौकतांत्रिक, पारस्पिरिक सहयोग व सहायतायुक्त सामाजिक आर्थिक आन्दोलन है न्याय पर आधारित है जिसमें नैतिकता पर बल दिया जाता है अव्यस्था का उन्मूलन हो जाता है। इसमें खुली सदस्यता होती है सरकारी सहायता प्राप्त होती है। यह सव्तः संचालित संस्था है। पूंजीवाद व साम्यवाद का मध्यम मार्ग है। सहकारिता का सामाजिक उदेद्श्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, अधिकतम सेवाऐं प्रदान करना, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्प्रमीण उधोग विकास पर जोर देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पूंजीवाद के दोष दूर करना, शोषण से मुक्ति दिलाना व जीवन स्तर में सुधार लाना है।

मुख्य शब्द : सहकारी, समाविष्ट, व्यावसायिक।

प्रस्तावना

हमारी संस्कृति का मूल आधार विश्व बंधुत्व, संगठन और सहकारिता है। इन गुणों को विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जा रहा है और इनकों जीवन में उतारने की शिक्षा दी जाती रही है, क्योंकि इन्ही के माध्यम से हम अपना व्यक्तित्व विकसित करके समृद्वि और खुशहाली प्राप्त कर सकते है। सहकारिता का अर्थ किसी सामान्य उददेश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने से है। इसमें एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो सदस्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में समानता का मुख्य आधार माना जाता है। सहकारिता में लाभ व हानि का सामूहिक अधिकार व उत्तरदायित्वों होता है। एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाईयों का सामना करने वाले ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान अधिकारों व उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते है। सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जो उपक्रम रूप है। जिसका उदेद्श्य सेवा है न कि लाभ जो कि समानतापूर्वक, लौकतांत्रिक, पारस्पिरिक सहयोग व सहायतायुक्त सामाजिक आर्थिक आन्दोलन है न्याय पर आधारित है जिसमें नैतिकता पर बल दिया जाता है अव्यस्था का उन्मूलन हो जाता है। इसमें खुली सदस्यता होती है सरकारी सहायता प्राप्त होती है। यह सव्तः संचालित संस्था है। पूंजीवाद व साम्यवाद का मध्यम मार्ग है। सहकारिता का सामाजिक उदेद्श्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, अधिकतम सेवाऐं प्रदान करना, लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाना, ग्प्रमीण उधोग विकास पर जोर देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पूंजीवाद के दोष दूर करना, शोषण से मुक्ति दिलाना व जीवन स्तर में सुधार लाना है। आर्थिक उदेद्श्य अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, ग्रामीण साख पद्वति में सुधार लाना, कुशल विपणन व्यवस्था का विकास करना तथा नैतिक उदेद्श्य एकता व सहयोग की भावना को विकसित करना व मानव के महत्तव को बढाना है।

शोध के उद्देश्य

सभी सफल संगठनों और सहकारी समितियों के लिए सुशासन आवश्यक है। सुशासन का उददेश्य सहकारी समितियों को प्रशासन प्रकिया को बेहतर बनाने में मदद करना है। सुशासन के सिदान्त खुलेपन, अखण्डता और जवाबदेही पर आधारित है। समाज के विभिन्न वर्गो में आर्थिक रूप से कमजोर वगों मे समाविष्ट आर्थिक उत्थान के लिए जनजातीय सहकारिता, महिला सहकारिता आदि को सशक्त बनाना आज सहकारिता के समक्ष बडी चुनौती है। कौशल भारत के रूप में प्रारम्भ भारत की एक नयी पहल से सहकारिता को नवीन भूमिका प्राप्त हुयी है।

सहकारिता का उद्भव भारत में राजस्थान के अजमेर जिले के भिनाय से सन्1904 में हुआ है। परन्तु आज भी राजस्थान में सहकारी विकास कई अन्य राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू आदि के स्तर तक नही हो पाया है।

यद्यपि डेयरी व बैंकिग जैसे क्षेत्रों में राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में काफी उत्थान हुआ है। राज्य सरकार सतत मानव विकास के लिए कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए प्रयासरत है।

प्रशिक्षण का व्यापक उददे्श्य संगठन की बदलते परिवेश में प्रक्रियाओं व कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है क्योंकि"One who knows procedure may falter but will not fail"प्रशिक्षण का मुख्य उददे्श्य कार्मिकों की क्षमता निर्माण करना तथा संगठन के बाहरी व आन्तरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हे सक्ष्म बनाना है। कार्मिकों व सदस्यों को उनके कर्तव्यों को अधिक कुशलता से निर्वाह हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के 5 मुख्य उददे्श्य होते है। (1) ऐसे कार्मिकों का निर्माण जो कार्य में स्पष्टता ला सकें। (2) भविष्य में सौपें जाने वाले कार्य कर सके। (3) वर्तमान व्यक्तियों के साथ अतिरिक्त दायित्वों का निर्वाह कर सकें। (4) उनका यंत्रीकरण रोका जा सके। (5) उनके नैस्टिक कार्यो को समाप्त करके मनोबल को बढाया जा सके । इसके अतिरिक्त लोकसेवकों में टीम भावना का विकास करना, दृष्टिकोण को व्यापक व मानवीय बनाना, जटिल कार्यो के संपादन के योग्य बनाना, कार्मिकों व सदस्यों का चरित्र निर्माण करना उनकी योग्यता में वृद्वि करना तथा आचरण में सुधार करना इत्यादि।

सहकारी प्रशिक्षण की आवश्यकताः– सहकारी आन्दोलन की पर्याप्त सफलता के लिए सदस्यों व कर्मचारियों का शिक्षित व प्रशिक्षित लेना आर्थिक व भौतिक साधनों से भी अधिक महत्तवपूर्ण है। सहकारी शिक्षा सहकारिता के आदर्शो एवं सिदान्तों की स्पष्ट व्याख्या करती है तथा इनका व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत करती है। सहकारितों के सिदान्तों, आदर्शो, लाभों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण एक बेहतर माध्यम है।

राज्य में विभिन्न प्रकार की 33638 सहकारी समितियों के 1 करोड़ 4 लाख 56 हजार से अधिक सदस्य है। इन समितियों की 2007 करोड़ रूपये से अधिक हिस्सा पूंजी व 24584 करोड़ रूपये से अधिक की कार्यशील पूंजी है। लगभग 1 करोड़ सदस्यों में से 30 लाख से भी अधिक सदस्य सहकारी साख आंदोलन से जुड़े हुए हैं जहां उन्हें आर्थिक उन्नयन के सीधे अवसर मिलते है। राज्य में कार्यरत प्रशिक्षण संस्थानों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां है।

इस शोध पत्र में राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 3 प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित किया गया है। इन संस्थानों का उद्देश्य विश्वव्यापी तकनीकी प्रेरित शिक्षा कार्यक्रमों एवं उच्च व्यवासायिक अनुसंधान आधारित अकादमिक स्तर आश्वस्त करते हुए उद्भूत होने वाले चयनित क्षेत्रों एवं नवोन्येषी क्षेत्रों वाली सहकारिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। इनका प्रमुख ध्येय सहकारिता क्षेत्र के सम्मुख वैश्वीकरण मुक्त बाजार व्यवस्था तथा अन्य समास्याओं के कारण आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सहकारी संस्थानों की व्यावसायिक, उधमीय एवं प्रबंधकीय क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए कृषि एवं इसके सहायक उद्योगों, ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिक सहित विस्तृत क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। शोध अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाने के लिए इनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों व प्रशिक्षुओं से साक्षात्कार, अनुसूची प्रश्नावलियों आदि द्वारा सामग्री व आंकड़ो का संकलन किया गया है। सहकारी विभाग के प्रगति प्रतिवेदन, सरकारी गजट तथा संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों व विभागीय अधिकारियों से जानकारी भी प्राप्त की गयी है।

राजस्थान में कार्यरत प्रमुख प्रशिक्षण संस्था निम्न है :–

राजस्थान राज्य सहकारी संघ

राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 21 दिसम्बर, 1957 को हुई थी। वर्तमान में राजस्थान राज्य सहकारी संघ के सदस्यों की संख्या 363 है। राज्य सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण–प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार है। सहकारी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में संघ की चार सहकारी शिक्षा क्षेत्रीय परियोजनाएं क्रमशः जयपुर, अजमेर, जोधपुर एवं सवाईमाधोपुर में संचालित है। सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में संचालित है। सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सहकारी संस्थाओ के पदाधिकारियों व सदस्यों को सहकारी सिद्धान्तों सहकारी नियम, उपनियम, संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तवय, सहकारी साख एवं विपणन आदि के बारे में जानकारी के साथ–साथ सहकारी नवचारों के बारे में भी शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

सहकारी प्रबन्ध संस्थान, जयपुर

यह संस्थान राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत है। यह संस्थान देश के प्राचीनतम सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों में से है। इसकी स्थापना 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति की सिफारिश से कोटा में हुई थी। तथा इसका नाम सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज था। वर्तमान स्वरूप में सहकारी प्रबन्धन संस्थान के नाम से 1992 से झालाना डूंगरी में कार्यरत है। इस सस्थान को सहकारी प्रशिक्षण व अनुसंधान का लगभग 50 वर्ष का अनुभव है। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियां , सरकारी क्षेत्र में प्रबंधकों में निणर्य निर्माण व प्रशासनिक कौशल का विकास करना, युवाओं के लिए सहकारी प्रबन्धन में डिप्लोमा कोर्स संचालित करना, तकनीकी कन्सलटेंसी सर्विस के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में प्रबंधन संबंधित समस्याओं का निवारण करने में सहयोग प्रधान करना, सहकारिता संबंध नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर योगदान प्रदान करना है।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

राईसेम का गठन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 1994 को सहकारी विभाग द्वारा सहकारी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नई आर्थिक नीतियों एवं उदारीकरण से संबंधित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता से संबंधित सहकारी एवं गैर सहकारी अधिकारियों–कर्मचारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर सहकारिता आन्दोलन की उत्तरोत्तर प्रगति की दृष्टि से व्यावसायिक प्रबन्धन एवं दक्ष कार्मिक वर्ग तैयार करना है। राज्य, जिला एवं खण्डीय स्तर की 63 सहकारी संस्थाएं राईसेम की सदस्य है। राईसेम का

प्रबन्धन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष, प्रमुख सचिव सहकारिता एवं उपाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां है। राईसेम द्वारा प्रशिक्षण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। राईसेम द्वारा नाबार्ड के सहयोग से क्रेडिट चैनल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य चैनल के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इन प्रशिक्षण संस्थानो को बदलते परिवेश में निम्न चुनौतियो का सामना करना पड रहा हैः–

राष्ट्रीय सहकारी संघ

अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने तक इस संस्थान द्वारा प्रशिक्षण व प्रचार प्रसार कार्यक्रमों में बढ चढ कर हिस्सा लिया जाता रहा। परन्तु जैसे जैसे अन्य समानान्तर प्रशिक्षण संस्थानों यथा राईसम व आईसीएम का उदभव हुआ तो सहकारी अधिनियम में प्रावधानित लाभांश वितरण सूची में एक प्रतिशत शिक्षा व प्रशिक्षण निधि का हस्तान्तरण जहां पूर्णतः इसी संस्थान को होता था वह भाग लगातार कम होता गया। सतत रूप से फण्डस् कम होते गये। पूर्व में सहकार संघ के तत्वाधान में किये जाने वाले राष्ट्रीय सहकार मेला आयोजन का कार्य कॉनफैड को मिलने से प्रचार प्रसार का कार्य भी इससे छीन गया एवं फण्ड का अभाव और गहरा गया। बदलते परिवेश में सहकारिता के विकास व प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार से मिलने वाली प्रचार हेतु राशि सीधे जिला रजिस्ट्रार कार्यालय को आवंटित होने लगी है जबकि यह पूर्व में संघ को मिलती रही है। इस तरह आय के साधन धीरे–धीरे कम होते गये उधर प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत स्टाफ के वेतन की समस्या भी उत्पन्न हो गयी। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना में निवेश हेतु धन की उपलब्धता भी नही रही। संघ के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी व पेन्शन लाभ हेतु कोर्ट केस करने को मजबूर होना पडा। अतः धनाभाव के कारण प्रशिक्षित स्टाफ व प्रशिक्षण हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का स्तर लगातार गिरता जा रहा है।

सहकारी प्रबन्ध संस्थान(आईसीएम), जयपुर

यह राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है इसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अतः यह कहां जा सकता है कि यहां वित्त जैसी कोई समस्या नही है। इस संस्थान में कार्यरत स्टाफ संख्या में कमी होने के कारण कार्यरत सदस्यों पर कार्यभार अधिक है। जहां संस्थान की स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेन्थ 25 है, वर्तमान स्टाफ मात्र 9 है। इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कक्षो में तो ऑडियो विजुवल व्याख्यान प्रदान करने हेतु सुविधाएं व्याप्त है परन्तु हॉस्टल सुविधाएं स्तरीय नही है।संस्थान में विभागीय निरीक्षकों, पैक्स व्यवस्थापको व निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है परन्तु उच्चाधिकारियों को नवाचारों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन शनैः शनैः कम होता जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग का अभाव है वहीं यह संस्थान राज्य सरकार के नियंत्राणाधीन न होने के कारण उदासीन होता जा रहा है। यद्वपि संस्थान आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष 2017–18 में इस संस्थान में आवंटित लक्ष्य 75 के विरूद्व 85 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है। इस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन राज्य सरकार के सहकारिता विभाग स्तर से ही किया जाता है। सहकारी संस्थायें प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों को नामांकित नही करती है न ही स्वतः नामांकन की व्यवस्था है। प्रशिक्षण पद्वतियों में मुख्यतः समूह चर्चा, व्याख्यान, व ऑडियो विजुवल प्रर्दशन का प्रयोग किया जाता है परन्तु फील्ड विजिट जैसी पद्वतियों का नितान्त अभाव है। प्रशिक्षण सामग्री का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण सामग्री सामयिक व स्तरीय नही बन पा रही है।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान(राइसेम)

यह संस्थान राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत गठित होने के कारण स्ववित्त पोषित संस्था है इसमें कार्यरत संकाय सदस्य सहकारिता विभाग के अधिकारी है जो प्रतिनियुक्ति पर सेवाये देते है वर्तमान में मात्र 2 संकाय सदस्य ही दक्ष सहकारिता प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत है। अतः विषय विशेषज्ञों का अभाव है। इस संस्थान में प्रशिक्षुओं का नामांकन सहकारिता विभाग व सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यद्यपि प्रशिक्षण कक्ष में नवीनतम तकनीकीयुक्त ऑडियों विजुवल पद्वति का प्रयोग किया जाता है परिसर में इन्टरनेट लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लेब की व्यवस्था प्रशिक्षणार्थियों हेतु उपलब्ध है। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फील्ड विजिट का भी प्रावधान है अच्छी हॉस्टल व्यवस्था, मनोरजंन के साधन,(गैम्स टेलीविजन आदि) उपलब्ध है परन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय पर नामांकन नहीं होने के कारण प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित नही हो पाती है प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने जैसी गतिविधियो के प्रति संकाय सदस्यों में उत्साह का अभाव है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अन्य दो संस्थानों की तुलना में यहां प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु समुचित वातावरण एवं सुविधाऐं उपलब्ध है।

सुझाव

इन सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता संवर्द्धन सहकारिता विकास में प्रशिक्षण की भूमिका को बढावा देने हेतु निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत हैं–

1. उक्त तीनों प्रशिक्षण संस्थान एक ही परिसर में स्थित है। यद्यपि इन संस्थानों का गठन व नियंत्रण अलग अलग अधिनियमों के अन्तर्गत किया गया है फिर भी इनका मूल घ्येय सहकारिता के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ही है अतः तीनों संस्थाऐं एक एम.ओ.यू. करके सामूहिक प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित कर सकती है। तीनों संस्थान कार्यरत संकाय सदस्यों की विषय विशेषज्ञता तथा आधारभूत सुविधाओं का लाभ लेते हुए स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकतें है।
2. सहकारी कार्मिकों में प्रशिक्षण के प्रति गंभीरता का अभाव है। अतः इस हेतु सहकारिता विभाग द्वारा समय पर नामांकन करते हुए उपस्थिति देने हेतु पाबंद किया जाना चाहिए। नामांकन पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम में

भाग न लेने वाले कार्मिकों के लिए दण्ड शुल्क अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान लागू करना चाहिए।

3. प्रशिक्षण रेकार्ड का संस्थावार / सदस्यवार रेकार्ड संधारण तीनों प्रशिक्षण संस्थान आपसी समन्वय के माध्यम से करे तो इससे प्रशिक्षणार्थियों का गैर जरूरी दोहराव भी रूकेगा और वंचित वर्ग को प्रशिक्षण का अवसर भी प्राप्त हो पायेगा।
4. सभी सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अपने अपने संस्थान हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हुये इन प्रशिक्षण संस्थानों को भेज सकते है, जिसमें लक्षित समूह, अवधि व समय उल्लेखित किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक सहकारी संस्था प्रशिक्षण संस्थान की सदस्यता प्राप्त करे तो सहकारी कार्मिकों के कार्यव्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकते है तथा मनोबल भी उच्च होगा।
6. प्रशिक्षण पश्चात संस्थान प्रभारी द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जावें। यदि कार्मिक के कार्यक्षमता में सुधार पाया जाये तो उनको पुरस्कार दिया जाये जिससे कार्मिक का मनोबल बढेगा।
7. सहकारिता मात्र विभाग का नाम नही अपितु एक जन आन्दोलन है और एक जन आन्दोलन की सफलता उसके प्रचार प्रसार व शिक्षण प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। इस परिपेक्ष्य में सहकारिता अधिनियम में संशोधन करते हुए सहकारी संस्थानों के लाभांश से मात्र 1 प्रतिशत शिक्षा व प्रशिक्षण निधी को आवंटित न करके इसे 1.5 प्रतिशत तक बढाया जाना चाहिए।
8. इन प्रशिक्षण संस्थानों को अतिथि व्याख्यता को व्याख्यान में आमत्रित करने से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त कर उसका मूल्यांकन संकाय सदस्य अथवा कोर्स कार्डिनेटर स्तर से करवाया जाना चाहिए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता अनुरूप फेर बदल किये जाने चाहिए।
9. तीनो प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अतिथि व्याख्याताओं का विषय विशेषज्ञता अनुरूप एक पूल तैयार करना चाहिए तथा इन्हे विभागीय आदेश, परिपत्रों, अधिनियमों व बायलाज में हुए नवीनतम परिर्वतनों से अवगत कराया जाना चाहिए।
10. तीनों प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संमेकित रूप से संकाय सदस्यों विषय विशेषज्ञों अतिथि व्याख्याताओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना सुनिश्चित करना चाहिए।
11. प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगने से पूर्व उनको प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक मानदण्डों व योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
12. प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी त्रैमासिक व अर्द्धवार्षिक उपलब्धियों को पत्रिका के रूप में प्रकाशित करना चाहिए।
13. जिस तरह राईसेम में क्रेडिट चैनल के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पूर्व एन्ट्री टेस्ट व प्रशिक्षण पश्चात एक्जिट टेस्ट आयोजित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता व अध्ययन किया जाता है।

निष्कर्ष

सहकारिता एक आन्दोलन है जिसमें प्रशिक्षण की महती भूमिका होती है। इस भूमिका का निर्वहन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है।अतः सहकारी प्रशिक्षण के समक्ष उपस्थित इन चुनौतियों का सशक्त रूप से निदान करने से ही सहकारिता एवं सहकारिता के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में निरतंर प्रगति के नये सौपान प्राप्त किया जाना संभव हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

विनोद कुमार गर्ग, गांमीण विकास तथा सहकारिता, अल्फा पब्लिकेषन्स, 2012

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, राजस्थान सहकारिता विभाग,जयपुर 2017.18

सहकार समाचार बुलेटिन (मासिक)

http://ncui.coop

www.ricem.org

www.icmjaipur.in

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन–1. राइसेम 2. आई.सी.एम. 3. राजस्थान राज्य सहकारी संघ

http://ncct.ac.in

ट्रेनिंग कलेण्डर : 1. राइसेम 2. आई.सी.एम. 3. राजस्थान राज्य सहकारी संघ